न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर,

विलोपित

निगरानी-3455/2018/रीवा/भू0रा0

रंग नाथ मिश्र तनय श्री जानकी प्रसाद मिश्र उम्र 53वर्ष नि0ग्राम सगराखुर्द, थाना व तहसील हनुमना, जिला रीवा म0प्र0 पेशा-वकालत{नौटरी}.. निगरानीकर्ता/आवेदक

श्री आई. पी. द्विवेदी को द्वारा आज दि. 6/6/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12/6/18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. श्रीमती सविता वेवा छोटे लाल मिश्र
2. पंकज तनय छोटे लाल मिश्र
3. पवन तनय छोटे लाल मिश्र

सभी निवासी ग्राम सगराखुर्द थाना व तहसील हनुमना, जिला-रीवा म0प्र0. . . . गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के प्रकरण क्रमांक 174ए/6-16-17 में पारित आदेश दिनांक 29/5/2018 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0 संहिता अधिनियम 1959ई0

आई. पी. द्विवेदी

(9)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक/निगरानी/3455/2018/रीवा/भूरा — रंगनाथ बनाम सविता

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-06-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री आई.पी.द्विवेदी उपस्थित हुए। उन्होंने प्रकरण में शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में आज ही सुनवाई का निवेदन किया। उन्हें कायमी के बिन्दु पर सुना गया। मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया तथा तर्कों पर मनन किया। अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा द्वारा आलोच्य आदेश 29-05-18 पारित करते हुए म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया है। उक्त प्रचलित प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्राप्त है अतः प्रचलित प्रकरण में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में सुनवाई योग्य पर्याप्त आधार नहीं होने से अग्राहय की जाती है। 6/6/18 सदस्य	